संख्या-12/ 3021/ 15-11-2013-2067/ 13

प्रेषक,

नीतीश्वर कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2013

विषयः- बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के लिए चयन में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-रा0शै0/ 29238/ 2013-14, दिनांक 04 दिसम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आगामी वर्षों में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में प्रवेश/ चयन की प्रक्रिया के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के लिए आवेदन हेतु आयु सम्बन्धित वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/ -
नीतीश्वर कुमार
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना, उत्तर प्रदेश, निशातगंज, लखनऊ।
2- शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0 प्र0, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
5- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी/ रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/ -
अशोक कुमार सिंह
उप सचिव।

G.O. [illegible]